अजीत सिंह
रामकिशन

CMP

25/10

पत्रावली कोरम कोर्ट लोक अदालत में पेश हुई। कोरम कोर्ट में वादी अजीत सिंह रामकिशन आदि वादीगण का वाद [illegible] किया जाता है विधिक प्रक्रिया से खारिज किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार [illegible] तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 25/10

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

प्रपत्र -5

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)कैम्प (बिलाड़ी)

पीठासीन अधिकारी श्री [illegible] मीणा R.AS

उनवान

[illegible] बनाम [illegible]

ा बाबत:- [illegible]

फ़दमा नम्बर:- 134/13

र्णय दिनांक:- 28.5.18

वादी की ओर से [illegible] की व प्रतिवादी की ओर से ....

की उपस्थिति में आज तारीख 28.5.18 को ....(नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि -

वादीगण का वाद उक्त आशय डिग्री किया जाता है कि विवादित आराजी ख.नं. 36/ 4-10 बीघा वाके ग्राम [illegible] तहसील कोटकासिम में [illegible] दिनांक 14.7.2014 के अनुसार वादी को प्रतिवादीगण बेदखल न करे, न कब्जा करे, न निर्माण करे, मौका की यथास्थिति कायम रखे।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेगें ।

यह आज तारीख 28.5.18 को मेरे हस्ताक्ष से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

([illegible] मीणा R.AS)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

वाद के खर्चे

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
134 / 13	18.06.13	16-06-2014

उनवान

1. कंवरसिंह पुत्र सोहन जाति अहीर ग्राम बिलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:—वादी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र छीतर
2. बौदन पुत्र छीतर
3. मनफूल पुत्र छीतर
4. विक्रम पुत्र रगबीर
5. रामकिशन पुत्र गणेशीलाल
6. भगवतदयाल पुत्र रगबीर
7. रामरती पत्नी रगबीर
8. अजीत पुत्र रामशरण
9. सीतारामा पुत्र रामशरण जाति अहीरान निवासीयान ग्राम बिलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:—असल प्रतिवादीगण

10. अभयसिंह पुत्र उमराव
11. राधेश्याम पुत्र सोहर
12. हरिसिंह पुत्र सोहन
13. सावत्री पत्नी जसवन्त
14. जीतराम
15. सतेन्द्र पुत्रान जसवन्त
16. हरद्वारी पुत्र झूथा जाति अहीरान ग्राम बिलियावास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

:—तरतीबी प्रतिवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा हुक्मईम्तनाईदवामी अंतर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थनापत्र
आदेश 26 नियम–9 व पठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः

1. श्री भगतसिंह चौधरी,अभिभाषक प्रार्थी / वादी
2. श्री रामफल यादव,अभिभाषक अप्रार्थी / प्रतिवादी

निर्णय

प्रार्थी / वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खं0 नं0 36 / 4–10 बीघा ग्राम बिलियावास तहसील कोटकासिम की बाबत अदालत हाजा द्वारा असल प्रतिवादीगण को स्थगन आदेश से पाबंद किया गया है। असल प्रतिवादीगण बदस्तूर स्थगन आदेश से पाबंद चले आ रहे है। स्थगन आदेश आज दिन तक प्रभावी चला आ रहा है। स्थगन आदेश के बावजूद असल प्रतिवादीगणों ने दिनांक 2.8.2013 को सुबह करीब 7 बजे विवादित आराजी की ट्रेक्टर से जोत लगाकर मौका स्थिति तबदील कर दी है। विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट मंगाई जाना आवश्यक है ताकि अदालत हाजा को वस्तुस्थिति का ज्ञान हो सके। न्याय करने में सहूलियत मिल सकें। प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी / वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी हाल खं0 नं0 36 / 4–10 बीघा वाके ग्राम बीलियावास तहसील कोटकासिम की मौका रिपोर्ट किसी राजस्व अधिकारी को व हल्का पटवारी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मंगवाई जावें।

प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि अप्रार्थी / प्रतिवादीगण वकील को दी गई।

अप्रार्थीगण वकील ने प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी विवादित आराजी खं0 नं0 36 / 4–10 बीघा के लिए तहसीलदार कोटकासिम से राजस्व नक्शा के अनुसार अपनी डोल कायम करावें। क्योंकि इस भूमि से लगती हुई अप्रार्थीगणों की भूमि है व साबिक रिकॉर्ड के अनुसार खं0नं0 व रकबा व नक्शा राजस्व कायम नहीं है। आवश्यकता होने पर इश्तकरारहक मय दुरूस्ती का वाद भी अप्रार्थीगणों द्वारा पेश किया जावेगा।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 2.8.2013 की समस्त कहानी मिथ्या व मनघड़न्त गलत दर्ज की गई है। पूर्व से ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने कायम शुदा पुख्ता डोल पर कायम है। उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। अतिरिक्त साक्ष्य मौका रिपोर्ट द्वारा लाये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/वादी अपना वाद स्वयं साबित करें। इसलिए प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगणों स्पेशल कोस्ट 5,000/– प्रार्थी/वादी से दिलाई जावें।

बहस उभय पक्षकारान अभिभाषक सुनी गयी।

वादी/प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि असल प्रतिवादीगण को स्थगन आदेश से पाबंद किया हुआ है। स्थगन बदस्तूर जारी है। स्थगन आदेश होने के बावजूद भी अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 2.8.2013 को विवादित आराजी पर ट्रेक्टर से जोत लगाकर मौका स्थिति तब्दील की गई है। अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त में मजामहत करते है। मौके की स्थिति में परिवर्तन करते रहते है। इसलिए राजस्व अधिकारी से प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है। मौका रिपोर्ट साक्ष्य हेतु नहीं है, मौका रिपोर्ट से वाद निर्णित नहीं होता बल्कि साक्ष्य से होगा। वाद में सीमाज्ञान/पैमाईश/पत्थरगढ़ी की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में मिन प्रार्थी द्वारा अन्य साक्ष्य भी पेश की जावेगी। अतः प्रकरण में राजस्व अधिकारी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगाई जावें। प्रार्थी वकील ने न्यायिक दृष्टान्त एआईआर–2008 बोम्बे –155 पेश की ।

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वाद में प्रार्थी ने झूंठा दावा पेश किया है। प्रार्थी की विवादित आराजी पर हमने किसी प्रकार से मदालखत व मजामहत नहीं की है। बल्कि हम अपनी स्वयं की खातेदारी की आराजी पर कायम है। प्रार्थीगण को विवादित आराजी की पैमाईश कराकर पत्थरगढ़ी करानी चाहिए। मिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की विवादित आराजी की डोल को नहीं तोड़ा, ना ही प्रार्थी/वादी ने हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्यवाही की है यदि हमने कहीं रकबा दबाया है तो प्रार्थी/वादी मेरे खिलाफ बेदखली का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लावें, ना कि धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्रार्थनापत्र 0–26 आर–9 का प्रार्थनापत्र पेश किया जावें। अप्रार्थीगण द्वारा पक्का निर्माण किया जावें तो मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावें, अन्यथा नहीं। वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। इसमें रूलिंग भी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

राजस्व न्यायालय की पेश की जानी चाहिए। प्रार्थी द्वारा पेश की गई रूलिंग इस वाद पर लागू नहीं होती है। अप्रार्थी वकील ने न्यायिक दृष्टान्त आर.एल. डब्ल्यू–2010 (1) पेज 620, आरएलडब्ल्यू–2012 (1) पेज– 421 पेश किये।

उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद अन्तर्गत धारा–188 विचाराधीन है। पक्षकारान के मध्य आराजीयात का सीमा संबंधी विवाद होना जाहिर है। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त से मैं सहमत हूँ। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/वादी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश–26 नियम–9 व सपठित धारा–151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को 1000/रू0– शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा निर्धारित शुल्क अदा किये जाने पर विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट तैयार कर इस न्यायालय में पेश की जावें। अहकाम जारी किया जावें। प्रार्थनापत्र फैंसल शुमार होकर शामिल मूल वाद पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16-06-2014 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner